प्रारूप–30.2

परियोजना का नाम :– राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 119 (534) के किमी 196 से किमी 276 सतपुली से श्रीनगर के 2 लेन निर्माण हेतु

कार्यालय उप जिलाधिकारी, पौड़ी

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण–पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति, पौड़ी

उपखण्ड 4.367 परिक्षेत्र के अन्तर्गत NH-119 सतपुली से श्रीनगर किमी 196 to 276 का चौड़ीकरण (4.367 है0 आरक्षित वन भूमि 20.115 है0 सिविल एवं सोयम वन भूमि 0.151 है0 7.92 वन पंचायत भूमि, अर्थात कुल 32.553 है0 वन भूमि ) का राष्ट्रीय राजमार्ग धुमाकोट प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनूसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील पौड़ी) की दिनांक 18/04/17 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:–

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री किशन सिंह नेगी, उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1– श्री किशन सिंह नेगी उपजिलाधिकारी पौड़ी अध्यक्ष

2– श्री [illegible] (R.O.) उप प्रभागीय वनाधिकारी [illegible] सदस्य

3– श्री अनिल सेमवाल सहायक समाज कल्याण अधिकारी पौड़ी सदस्य / सचिव

4– श्री अनिता [illegible] बी0डी0सी0 क्षेत्र [illegible] सदस्य Anita

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि राष्ट्रीय राजमार्ग 119 के किमी 196 to 276 (सतपुली से श्रीनगर) के दो लेन चौड़ीकरण हेतु वन भूमि प्रस्ताव परियोजना हेतु 26.275 है0 वन भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग धुमाकोट प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

उप जिला मजिस्ट्रेट,
पौड़ी

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, ..........पौड़ी..........द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नही किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड ..32-553.. परिक्षेत्र के अन्तर्गत———

परियोजना के निर्माण हेतु ..................हे0 वन भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग ...... प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील–........उप जिला मजिस्ट्रेट
जनपद ........पौड़ी गढ़वाल........

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, ........पौड़ी गढ़वाल........ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील–........उप जिला मजिस्ट्रेट
जनपद ........पौड़ी गढ़वाल........

प्राक्रप-50.2

परियोजना का नाम :- राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या एन0एच0 119 के कि0मी0 196+00 से 276+00 (सतपुली-श्रीनगर) दो लेन सडक चौड़ी करण बावत।

कार्यालय उप-जिलाधिकारी, पौड़ी
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण-पत्र
उपखण्ड स्तरीय समिति, पौड़ी

उपखण्ड पौड़ी परिक्षेत्र के अन्तर्गत NH-119 कि0मी0 196 से 276 सतपुली से श्रीनगर (4.367 हे0 आरक्षित वन भूमि, 20.115 हे0 सिविल एवं सोयम वन भूमि 0.151 हे0 वन पंचायत भूमि, अर्थात कुल 32.553 हे0 वन भूमि) का राष्ट्रीय राजमार्ग धुमाकोट प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील पौड़ी) की दिनांक 18/04/17 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण :-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री किरन सिंह नेगी, उप-जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1- श्री किरन सिंह नेगी उपजिलाधिकारी पौड़ी अध्यक्ष
2- श्री राजीव ... (R.O.) उप प्रभागीय वनाधिकारी पौड़ी सदस्य
3- श्री पूनम चमोली सहायक समाज कल्याण अधिकारी कल्जीखाल सदस्य / सचिव
4- श्री राजवंती देवी बी0डी0सी0 क्षेत्र कल्जीखाल सदस्य

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि राष्ट्रीय राजमार्ग 119 कि0मी0 196 से 276 (सतपुली से श्रीनगर) तक दो लेन चौड़ीकरण हेतु वन भूमि प्रस्ताव परियोजना हेतु 26.274 हे0 वन भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, धुमाकोट प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति के पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

क्रमशः.........2

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, पौड़ी ........................ द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड पौड़ी ........................ परिक्षेत्र के अन्तर्गत प्रभावित भूमि की वैधानिक स्थिति परियोजना के निर्माण हेतु 32.553हे0 वन भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग ........ प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

3/6/14

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील– पौड़ी
जनपद– पौड़ी, गढ़वाल

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, पौड़ी, गढ़वाल ........ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

3/6/14

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील– पौड़ी
जनपद– पौड़ी, गढ़वाल

परियोजना का नाम :– राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या एन0एच0 119 के कि0मी0 196+00 से २76+00 (सतपुली–श्रीनगर) दो लेन सडक चौड़ी करण बावत।

कार्यालय उप–जिलाधिकारी, श्रीनगर
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण–पत्र
उपखण्ड स्तरीय समिति, श्रीनगर

उपखण्ड श्रीनगर परिक्षेत्र के अन्तर्गत प्रभावित भूमि की वैधानिक स्थिति (4.367 हे0 आरक्षित वन भूमि, 20.115 हे0 सिविल एवं सोयम वन भूमि 0.151 हे0 वन पंचायत भूमि, अर्थात कुल 32.553 हे0 वन भूमि) का राष्ट्रीय राजमार्ग, धुमाकोट प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनूसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील श्रीनगर) की दिनांक 19/04/17 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण :–

7.92 नापखत निजी

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री माया दत्त जोशी, उप–जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक मे माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1– श्री माया दत्त जोशी उपजिलाधिकारी श्रीनगर अध्यक्ष
2– श्री रवि जुयाल उप प्रभागीय वनाधिकारी सदस्य
3– श्री प्रमोद प्रसाद सहायक समाज कल्याण अधिकारी खिर्सू सदस्य / सचिव
4– श्री श्रीमती सरिता धनाई बी0डी0सी0 क्षेत्र डांगचौरा सदस्य

(प्र0खं0अ0मह विकास खण्ड खिर्सू)

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि राष्ट्रीय राजमार्ग-119(534) कि0मी0 196 से 276 (सतपुली से श्रीनगर) तक दो लेन चौड़ीकरण हेतु वन भूमि प्रस्ताव परियोजना हेतु 26.384 हे0 वन भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, धुमाकोट प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति के पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

क्रमशः ...........2

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, पौड़ी द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड श्रीनगर परिक्षेत्र के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग 119 (534) परियोजना के निर्माण हेतु 32.553 हे0 वन भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग श्रीनगर प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील– श्रीनगर
जनपद– पौड़ी गढ़वाल

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, पौड़ी गढ़वाल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील– श्रीनगर
जनपद– पौड़ी, गढ़वाल

## प्रारूप—30.2

**परियोजना का नाम :— राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 119 (534) के किमी 196 से किमी 276 सतपुली से श्रीनगर के 2 लेन निर्माण हेतु**

**कार्यालय उप जिलाधिकारी, पौड़ी**
**अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण—पत्र**
**उपखण्ड स्तरीय समिति, पौड़ी**

उपखण्ड पौड़ी परिक्षेत्र के अन्तर्गत NH 119 (किमी 196 to 276 (सतपुली से श्रीनगर) (निरस्त 4.367 हे0 आरक्षित वन भूमि 30.115 हे0 सिविल एवं सोयम वन भूमि 0.151 हे0 7.92 हे0 वन पंचायत भूमि, अर्थात कुल 32.553 हे0 वन भूमि ) का राष्ट्रीय राजमार्ग दुगड्डा प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनूसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील पौड़ी) की दिनांक 18/04/17 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरणः—

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री किशन सिंह नेगी, उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1— श्री किशन सिंह नेगी उपजिलाधिकारी पौड़ी अध्यक्ष
2— श्रीमती राखी जुयाल (R.O.) उप प्रभागीय वनाधिकारी पौड़ी सदस्य
3— श्री पूनम चमोली सहायक समाज कल्याण अधिकारी कल्जीखाल सदस्य / सचिव
4— श्री ..... बी0डी0सी0 क्षेत्र ..... सदस्य

(पूनम चमोली) समाज कल्याण अधिकारी कल्जीखाल (पौड़ी गढ़वाल) — उप जिलाधिकारी पौड़ी

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि—

—————— परियोजना हेतु 26.274 हे0 वन भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग दुगड्डा प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, ......पौड़ी.......द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड ...पौड़ी.......परिक्षेत्र के अन्तर्गत NH-119 कि.मी. 196 से 276 सतपुली से श्रीनगर ... परियोजना के निर्माण हेतु 32.553 ..हे0 वन भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग... प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील–......पौड़ी......
जनपद ......पौड़ी गढ़वाल......

उप जिला मजिस्ट्रेट
थलीसैंण पौड़ी

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, ......पौड़ी गढ़वाल...... को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील–......पौड़ी......
जनपद ......पौड़ी गढ़वाल......

उप जिला मजिस्ट्रेट
थलीसैंण पौड़ी

2301

परियोजना का नाम :— राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या एन0एच0 119 के कि0मी0 196+00 से 276+00 (सतपुली – श्रीनगर) दो लेन सडक चौड़ी करण बावत।

कार्यालय उप–जिलाधिकारी, पौड़ी
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण–पत्र
उपखण्ड स्तरीय समिति, पौड़ी

उपखण्ड पौड़ी परिक्षेत्र के अन्तर्गत NH 119 कि0मी0 196-276 सतपुली से श्रीनगर तक भूमि प्रस्ताव (4.367 हे0 आरक्षित वन भूमि, 20.115 हे0 सिविल एवं सोयम 1.92 मल्वा विस्तारक वन भूमि 0.151 हे0 वन पंचायत भूमि, अर्थात कुल 32.553 हे0 वन भूमि) का राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, कोटद्वार प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील पौड़ी) की दिनांक 18/04/17 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण :—

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री किशन सिंह नेगी, उप–जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1— श्री किशन सिंह नेगी उपजिलाधिकारी पौड़ी अध्यक्ष
2— श्रीमती लक्ष्मी जुयाल (RO) उप प्रभागीय वनाधिकारी सदस्य
3— श्री अनिल सेमवाल सहायक समाज कल्याण अधिकारी पौड़ी सदस्य / सचिव
4— श्री [illegible] बी0डी0ओ0 क्षेत्र विकासखण्ड पौड़ी कल्जीखाल सदस्य

उप जिला मजिस्ट्रेट
बारहस्यूं पौड़ी

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि राष्ट्रीय राजमार्ग 119 (534) कि0मी0 196 से 276 (सतपुली से श्रीनगर) तक दो लेन चौड़ीकरण हेतु वन भूमि प्रस्ताव परियोजना हेतु 26.274 हे0 वन भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, कोटद्वार प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के सम्मुख रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति के पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

क्रमशः.........2

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, पौड़ी द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड पौड़ी परिक्षेत्र के अन्तर्गत NH-119 कि.मी. 196 से 276 (सतपुली से श्रीनगर) परियोजना के निर्माण हेतु 32.557 है० वन भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग धुमाकोट प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी / अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील- पौड़ी
जनपद- पौड़ी गढ़वाल

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, पौड़ी गढ़वाल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी / अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील- पौड़ी
जनपद- पौड़ी गढ़वाल

परियोजना का नाम :— राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या एन0एच0 119 के कि0मी0 196+00 से 276+00 (सतपुली—श्रीनगर) दो लेन सडक चौड़ी करण बावत।

कार्यालय उप—जिलाधिकारी, पौड़ी
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण—पत्र
उपखण्ड स्तरीय समिति, पौड़ी

उपखण्ड पौड़ी परिक्षेत्र के अन्तर्गत NH-119 (सतपुली से श्रीनगर) कि0मी0 196 से 276 (4.367 हे0 आरक्षित वन भूमि, 20.115 हे0 सिविल एवं सोयम वन भूमि 0.151 हे0 वन पंचायत भूमि, अर्थात कुल 32.582 हे0 वन भूमि) का राष्ट्रीय राजमार्ग, दुगड्डा प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनूसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील पौड़ी) की दिनांक 18/04/17 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण :—

7.92 नाप निस्तारी

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री किरन सिंह नेगी, उप—जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1— श्री किरन सिंह नेगी उपजिलाधिकारी पौड़ी अध्यक्ष
2— श्रीमती राखी जुयाल (R.O.) उप प्रभागीय वनाधिकारी सदस्य
3— श्री पूनम चमोली सहायक समाज कल्याण अधिकारी कल्जीखाल सदस्य / सचिव
4— श्री दामवरी देवी बी0डी0सी0 क्षेत्र कल्जीखाल सदस्य

उप जिला मजिस्ट्रेट पौड़ी

पूनम चमोली
स. समाज कल्याण अधिकारी
विकास खण्ड, कल्जीखाल
गढ़वाल (उत्तराखण्ड)

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि राष्ट्रीय राजमार्ग 119 (534) कि.मी. 196 से 276 (सतपुली से श्रीनगर) तक दो लेन चौड़ीकरण हेतु वन भूमि प्रस्ताव परियोजना हेतु 26.274 हे0 वन भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, दुगड्डा प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति के पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

क्रमशः.................2

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, पौड़ी द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड पौड़ी परिक्षेत्र के अन्तर्गत NH 119 (सतपुली से श्रीनगर कि.मी. 176 से 371) परियोजना के निर्माण हेतु 32.568 है0 वन भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग धुमाकोट प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील– पौड़ी
जनपद– पौड़ी गढ़वाल

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, पौड़ी गढ़वाल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील– पौड़ी
जनपद– पौड़ी गढ़वाल

समकोटी

परियोजना का नाम :– राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या एन0एच0 119 के कि0मी0 196+00 से 276+00 (सतपुली-श्रीनगर) दो लेन सडक चौड़ी करण बावत।

कार्यालय उप–जिलाधिकारी, पौड़ी
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण–पत्र
उपखण्ड स्तरीय समिति, पौड़ी

उपखण्ड पौड़ी परिक्षेत्र के अन्तर्गत प्रभावित भूमि की वैधानिक स्थिति (4.367 हे0 आरक्षित वन भूमि, 20.115 हे0 सिविल एवं सोयम 7.92 मलबा निस्तारण भूमि 0.151 हे0 वन पंचायत भूमि, अर्थात कुल 32.553 हे0 वन भूमि) को राष्ट्रीय राजमार्ग, थुमाकोट प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील पौड़ी) की दिनांक 18/04/17 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण :–

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री किशन सिंह नेगी, उप–जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1– श्री किशन सिंह नेगी उपजिलाधिकारी पौड़ी अध्यक्ष
2– श्रीमती राखी जुयाल (R.D.) उप प्रभागीय वनाधिकारी सदस्य
3– श्री अनिल कुमार सेमवाल सहायक समाज कल्याण अधिकारी पौड़ी सदस्य / सचिव
4– श्री मति संतोषी रावत बी0डी0सी0 सदस्य

(हस्ताक्षर) उप जिला मजिस्ट्रेट गढ़वाल पौड़ी
सहायक समाज कल्याण अधिकारी विकास खण्ड पौड़ी
प्रमुख क्षेत्र पंचायत पौड़ी वि0 ख0 पौड़ी
(हस्ताक्षर) 18/4/17

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि राष्ट्रीय राजमार्ग 119 (534) के कि0मी0 196 से 276 (सतपुली से श्रीनगर) तक दो लेन चौड़ीकरण हेतु वन भूमि प्रस्ताव परियोजना हेतु 26.274 हे0 वन भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड थुमाकोट प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नही है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति के पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

क्रमशः.........2

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, पौड़ी द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नही किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड पौड़ी परिक्षेत्र के अन्तर्गत NH-119 (534) सतपुली से श्रीनगर परियोजना के निर्माण हेतु 32.6553 हे0 वन भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड कोटद्वार प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील– पौड़ी
जनपद– पौड़ी गढ़वाल

उप जिलाधिकारी पौड़ी गढ़वाल

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, पौड़ी गढ़वाल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

जिला मजिस्ट्रेट गढ़वाल पौड़ी

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील– पौड़ी
जनपद– पौड़ी, गढ़वाल

कैमेड़ा / रिठाई

परियोजना का नाम :— राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या एन0एच0 119 के कि0मी0 196+00 से 276+00 (सतपुली- श्रीनगर) दो लेन सडक चौडी करण बावत।

कार्यालय उप–जिलाधिकारी पौडी
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण–पत्र
उपखण्ड स्तरीय समिति, पौडी

उपखण्ड पौडी परिक्षेत्र के अन्तर्गत प्रस्तावित भूमि की वैधानिक स्थिति (4.367 हे0 आरक्षित वन भूमि, 20.115 हे0 सिविल एवं सोयम

7.92 सहमना निरस्त वन भूमि 0.151 हे0 वन पंचायत भूमि, अथवा कुल 32.553 हे0 वन भूमि) का लो0क0 निर्माण विभाग, धुमाकोट प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष मे हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील पौडी) की दिनांक 18/04/17 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण :—

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री किशन सिंह नेगी, उप–जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1— श्री किशन सिंह नेगी उपजिलाधिकारी पौडी अध्यक्ष
2— श्रीमती राखी जुयाल (R.O.) उप प्रभागीय वनाधिकारी सदस्य
3— श्री अनिल सेनवाल सहायक समाज कल्याण अधिकारी पौडी सदस्य / सचिव
4— श्री सावित्री देवी बी0डी0सी0 क्षेत्र कमेड़ा सदस्य

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि राष्ट्रीय राजमार्ग -119(534) के कि0मी0 196 से 276 (सतपुली से श्रीनगर) तक दो लेन चौडीकरण हेतु वनभूमि प्रस्ताव परियोजना हेतु 26.274 हे0 वन भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, धुमाकोट प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि को संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति के पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

क्रमशः.........2

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, पौड़ी द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड पौड़ी परिक्षेत्र के अन्तर्गत प्रस्तावित भूमि की वैकल्पिक स्थिति परियोजना के निर्माण हेतु 32.553 हे0 वन भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग, धुमाकोट प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील– बारहस्यू पौड़ी
जनपद– पौड़ी, गढ़वाल

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, पौड़ी, गढ़वाल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील– उपजिलाधिकारी बारहस्यू पौड़ी
जनपद– पौड़ी, गढ़वाल

परियोजना का नाम :— राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या एन0एच0 119 के कि0मी0 139+00 से 196+00 (कोटद्वार—सतपुली) दो लेन सडक चौडी करण बावत।

कार्यालय उप–जिलाधिकारी..... पौडी .....
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण–पत्र
उपखण्ड स्तरीय समिति, ..... पौडी .....

उपखण्ड..... पौडी ..... परिक्षेत्र के अन्तर्गत NH-119 (सतपुली से श्रीनगर) कि0मी0 196 to 276 (4.367 हे0 आरक्षित वन भूमि 20.115 हे0 सिविल एवं सोयम वन भूमि 0.151 हे0 वन पंचायत भूमि, अर्थात कुल 25.593 हे0 वन भूमि) का राष्ट्रीय राजमार्ग, लो0नि0वि0 प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील..... पौडी .....) की दिनांक 18/04/17 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण :—

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति का बैठक श्री..... किशन सिंह नेगी ....., उप–जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यो की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1— श्री किशन सिंह नेगी ..... उपजिलाधिकारी ..... पौडी ..... अध्यक्ष
2— श्रीमती राखी जुयाल (R.O) ..... उप प्रभागीय वनाधिकारी ..... सदस्य
3— श्री..... अनिल सेमवाल ..... सहायक समाज कल्याण अधिकारी ..... पौडी ..... सदस्य / सचिव
4— श्री..... धर्मीलाल ..... बी0डी0सी0 क्षेत्र ..... सदस्य

उप जिला मजिस्ट्रेट बाराहस्यू पौडी
सहायक समाज कल्याण अधिकारी

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि NH-119 कि0मी0 196 to 276 (सतपुली से श्रीनगर) तक दो लेन चौडीकरण हेतु वन भूमि प्रस्ताव ..... परियोजना हेतु 26.274 हे0 वन भूमि ..... राष्ट्रीय राजमार्ग, लो0नि0वि0 ..... प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष मे हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति के पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

क्रमशः..... 2

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी.............पौड़ी.............................द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड..........................................परिक्षेत्र के अन्तर्गत.......................................................परियोजना के निर्माण हेतु 32.553 है0 वन भूमि.......................................... प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील–.......पौड़ी.......
जनपद–.......पौड़ी गढ़वाल

उप जिला मजिस्ट्रेट
पौड़ी

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, .......पौड़ी गढ़वाल.......को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील–.......पौड़ी.......
जनपद–.......पौड़ी गढ़वाल

उप जिला मजिस्ट्रेट
पौड़ी

507/507

परियोजना का नाम :— राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या एन0एच0 119 के कि0मी0 196+00 से 276+00 (सतपुली-टीनगा) दो लेन सडक चौडी करण बावत।

कार्यालय उप–जिलाधिकारी पौडी
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण–पत्र
उपखण्ड स्तरीय समिति, पौडी

उपखण्ड पौडी परिक्षेत्र के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग 119 प्रभावित भूमि की वैधानिक स्थिति (4.367 हे0 आरक्षित वन भूमि, 20.115 हे0 सिविल एवं सोयम वन भूमि 0.151 हे0 वन पंचायत भूमि, अर्थात कुल 32.553 हे0 वन भूमि) का राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड लैंसडौन प्रयोक्ता एजेंसी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील पौडी) की दिनांक 18/04/17 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण :—

7.42 मलवा निस्तारण

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री किशन सिंह नेगी उप–जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1— श्री किशन सिंह नेगी उपजिलाधिकारी पौडी अध्यक्ष
2— श्रीमती राखी जुयाल (R.O.) उप प्रभागीय वनाधिकारी सदस्य
3— श्री अनिल सेमवाल सहायक समाज कल्याण अधिकारी सदस्य / सचिव
4— श्री धर्मीलाल जी बी0डी0सी0 क्षेत्र पौडी सदस्य

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि राष्ट्रीय राजमार्ग 119(534) कि0मी0 196 से 276 (सतपुली से टीनगा) तक दो लेन चौडीकरण हेतु वन भूमि प्रस्ताव परियोजना हेतु 26.274 हे0 वन भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लैंसडौन प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति के पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

क्रमशः........2

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, पौड़ी द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड पौड़ी परिक्षेत्र के अन्तर्गत NH-119 सतपुली से श्रीनगर परियोजना के निर्माण हेतु 32.553 है० वन भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड कोटद्वार प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील– पौड़ी
जनपद– पौड़ी गढ़वाल

(उप जिला मजिस्ट्रेट, गढ़वाल पौड़ी)

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, पौड़ी गढ़वाल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील– पौड़ी
जनपद– पौड़ी गढ़वाल

(उप जिला मजिस्ट्रेट, गढ़वाल पौड़ी)

प्रारूप–30.2

परियोजना का नाम :– राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 119 (534) के किमी 196 से किमी 276

सतपुली से श्रीनगर के 2 लेन निर्माण हेतु

कार्यालय उप जिलाधिकारी, पौड़ी

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण–पत्र उपखण्ड स्तरीय समिति, पौड़ी

उपखण्ड पौड़ी परिक्षेत्र के अन्तर्गत NH-119 (सतपुली से श्रीनगर) 196 to 276 किमी (4.564) हे० आरक्षित वन 742 सतपाल निरुद्ध भूमि 20.115 हे० सिविल एवं सोयम वन भूमि 0.151 हे० वन पंचायत भूमि, अर्थात कुल 32.0553 हे० वन भूमि ) का राष्ट्रीय राजमार्ग खुमकोट प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील पौड़ी) की दिनांक 18/04/17 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरणः–

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री किशन सिंह नेगी, उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1– श्री किशन सिंह नेगी उपजिलाधिकारी पौड़ी अध्यक्ष

2– श्रीमती राखी जुयाल (IFS) उप प्रभागीय वनाधिकारी पौड़ी सदस्य

3– श्री पूनम चमोली सहायक समाज कल्याण अधिकारी कल्जीखाल सदस्य / सचिव

4– श्री अरुण कालडा बी0डी0सी0 क्षेत्र कल्जीखाल सदस्य

उप जिला मजिस्ट्रेट बारहस्यूँ पौड़ी

अनूप कण्डारी सदस्य क्षेत्र पंचायत वार्ड 03 [illegible] (कफा) विकास खण्ड कल्जीखाल

(पूनम चमोली) स. समाज कल्याण अधिकारी विकास खण्ड कल्जीखाल पौड़ी गढ़वाल (उत्तराखण्ड)

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि NH 119 (534) कि.मी. 196 से 276 सतपुली से श्रीनगर तक दो लेन चौड़ीकरण परियोजना हेतु 36.274 वन भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग 2003 खुमकोट प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है।

उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, पौड़ी द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड पौड़ी परिक्षेत्र के अन्तर्गत NH 119 (सतपुली – श्रीनगर) कि.मी. 196 से 276 परियोजना के निर्माण हेतु 36.133 हे० वन भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग खुमकोट प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी / अध्यक्ष उपखण्ड
स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील– पौड़ी
जनपद– पौड़ी गढ़वाल

उप जिला मजिस्ट्रेट बारहस्यूँ पौड़ी

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, पौड़ी (गढ़वाल) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी / अध्यक्ष उपखण्ड
स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील– पौड़ी
जनपद– पौड़ी

उप जिला मजिस्ट्रेट बारहस्यूँ पौड़ी

परियोजना का नाम :— राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या एन0एच0 119 के कि0मी0 196+00 से 276+00 (सतपुली—श्रीनगर) दो लेन सडक चौड़ी करण बावत।

कार्यालय उप—जिलाधिकारी, श्रीनगर
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण—पत्र
उपखण्ड स्तरीय समिति, ........ श्रीनगर

उपखण्ड ........ श्रीनगर ........ परिक्षेत्र के अन्तर्गत प्रस्तावित भूमि की वैकल्पिक 7.12 स्वाना सिविल सिविल ........ (4.367 हे0 आरक्षित वन भूमि, 20.115 हे0 सिविल एवं सोयम वन भूमि 0.151 हे0 वन पंचायत भूमि, अर्थात कुल 32.553 हे0 वन भूमि) का राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड ........ प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनूसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील ........ श्रीनगर ........) की दिनांक 19/04/17 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण :—

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री माया दत्त जोशी ........, उप—जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक मे माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1— श्री माया दत्त जोशी ........ उपजिलाधिकारी श्रीनगर ........ अध्यक्ष
2— श्रीमती [illegible] जुयाल ........ उप प्रभागीय वनाधिकारी श्रीनगर ........ सदस्य
3— श्री ........ प्रमोद प्रसाद सहायक समाज कल्याण अधिकारी [illegible] ........ सदस्य / सचिव
4— श्री सुरेन्द्र सिंह रावत ........ बी0डी0सी0 क्षेत्र [illegible] ........ सदस्य

(म0 [illegible] विकास खण्ड [illegible])
19/4/17

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि राष्ट्रीय राजमार्ग 119(534) कि0मी0 196 से 276 (सतपुली से श्रीनगर) तक दो लेन चौड़ीकरण हेतु 99 अधि प्रस्ताव परियोजना हेतु 26.274 हे0 वन भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लैन्सडाउन ........ प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति के पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

क्रमशः ........ 2

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी..........पौड़ी..........द्वारा अनुसूचित जनजाति एव अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड..........श्रीनगर..........परिक्षेत्र के अन्तर्गत..........[illegible]..........परियोजना के निर्माण हेतु ..32.553.. हे0 वन भूमि ..........[illegible].......... प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी श्रीनगर गढ़वाल

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील–..........श्रीनगर..........
जनपद–..........पौड़ी गढ़वाल..........

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी..........पौड़ी, गढ़वाल..........को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी श्रीनगर गढ़वाल

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील–..........श्रीनगर..........
जनपद–..........पौड़ी गढ़वाल..........